

यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


मु.नं 32/18 तारीख रज् 6.3.18

उपान - अनकबाई बनाम प्रदीप कुमार कौं
मेहन्दीपुरवाणी

दावा बाबत डिगिजन आफ होलिंग इन्तर्गत धारा 53
RTA-04

पादिया की ओर से श्री राममोशनी गुप्ता एडवोकेट ने दावा
बाबत डिगिजन आफ होलिंग (काल्मा) इन्तर्गत धारा 53
RTA-04 के तहत पेश किया। उभाबन्दी व शपथपत्र का
अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्ट्र कर प्रतिपादीपणी को
जारी रजिस्टर्ड अवज्ञारी कर ~~सम्मान~~ सम्मान से तलब कर
डेनांक 3.4.18 को पेश हो।

769-80
8-3-18


जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

8
पादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं. 1 रा. 4 की ओर से श्री
सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने कालनामा पेश किया।
प्रतिवादी नं. 12 के आवजूद सूफत उपस्थित नहीं होवे
ने एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं. 5 रा. 11
समाव बाद तामील जाह नही हुए थे। प्रतिवादी नं.
रा. 8 के रजि. 10 सम्मान तलबता पादी वकील ने
शर्किषा तलबी जारी करे। कस्तजा तलबी सुमा
प्रतिवादी नं. 9 रा. 11 एवं जबब प्रतिवादी नं. 1 रा. 4 एवं
ताजा तलबी रसीड प्रतिवादी नं. 5 रा. 5 दिनांक
3.4.18 को पेश हो।





फर्द अहकाम

वादी वकील/वकील उमर पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी...
पत्रावली गतानुसार दिनांक. 1.4.2024
को पेश हो।

[Signature]

4/5 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित
24 नहीं हुआ। बार - 2 आवाज दिलाई गई।
वादी वकील एवं वादीगण में से कोई भी
उपस्थित नहीं हुआ।

अतः दावा अदम हाजिरी एवं अदम
पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली प्रेषण
शुभार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल
दफ्तर हो।

[Signature]